सत्य मार्ग की खोज, सीरीज़- 23

कन्या-भ्रूण हत्या

जमाअत इस्लामी हिन्द

दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, नई दिल्ली-110025

9810032508, 9650022638

www.islamsabkeliye.com

www.youtube.com/truepathoflife

ईश्वर, अति दयावान, अत्यंत कृपाशील के नाम से

कन्या-भ्रूण हत्या

हमारा समाज जिन अनगिनत बुराइयों से जूझ रहा है, उनमें कन्या–भ्रूण हत्या का प्रचलन सबसे अधिक है। नारी को हीन भावना से देखना, उसे बोझ समझना और पुरुषों कि तुलना में उसे नीच मानना लगभग सभी सभ्यताओं में सामान्य रहा है। महिलाओं के अधिकारों का हनन सदैव हुआ है। उसको शिक्षा, व्यवसाय, विरासत जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, यहाँ तक कि उसे जीने का अधिकार भी नहीं दिया जाता। कन्या–भ्रूण हत्या एक ऐसा कड़वा सच है जिसने समाज की नीव को खोखला कर दिया है।

कन्या–भ्रूण हत्या क्या है?

माँ के पेट से भ्रूण का गर्भपात सिर्फ इसलिए करा देना कि वह बेटी है, कन्या–भ्रूण हत्या को परिभाषित करता है। अल्ट्रासाउंड जैसे उपकरणों से जहाँ बीमारियों का पता लगाकर इलाज करना सरल हुआ है, वहीं इसने भ्रूण के लिंग कि पहचान को भी आसान बना दिया है और बेटे के प्रेम से ग्रस्त समाज ने लालची और बेशर्म डॉक्टरों के सहयोग से माँ के पेट में पलती हुई बेटी को उसके जीवन से वंचित करने कि राह निकाल ली है।

जन्म के उपरान्त बेटी कि हत्या का कुचलन समाज में सदैव से रहा है परन्तु जन्म से पूर्व ही उसकी हत्या का कुकर्म उससे कहीं अधिक घृणित है। कुछ स्थानों पर तो यह कुप्रथा रही है कि प्रसव के समय दूध से भरा एक कढ़ाव रखा जाता था। यदि बेटा होता तो प्रसन्नतावश दूध को गाँव में वितरित कर देते थे, और बेटी होती तो उसी कढ़ाव में डुबाकर उसको मार डाला जाता था। कुछ अन्य स्थानों पर जन्मोपरांत बेटी को जीवित ही ज़मीन में गाड़ देते थे और आश्चर्य तो यह है कि इस कुकर्म में महिलाएं भी भागीदार होती थीं।

ईश्वर ने क़ुरआन के माध्यम से समस्त मानवजाति के

लिए अपने सन्देश में इस अति–घिर्णित प्रथा का वर्णन इस प्रकार किया है: "और जब उनमें से किसी को बेटी की शुभ सूचना मिलती है तो उसके चहरे पर कलौंस छा जाती है और वह घुटा–घुटा रहता है। जो शुभ सूचना उसे दी गई वह (उसकी दृष्टि में) ऐसी बुराई की बात हुई कि उसके कारण वह लोगों से छिपता फिरता है कि अपमान सहन करके उसे रहने दे या उसे मिट्टी में दबा दे। देखो, कितना बुरा फैसला है जो वे करते हैं" (क़ुरआन 16:58–59)

गिरता हुआ लिंगानुपात

2011 की जनगणना अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 943 है। अथार्त हर 1000 पुरुषों पर मात्र 943 महिलाएं। कुछ राज्यों में तो यह अनुपात अत्यंत गंभीर स्थिति तक नीचे गिर चुका है। हरियाणा में जहाँ यह 877 है वहीँ दमन व दीउ में 618 कि चिन्ताजनक स्थिति तक पहुँच गया है। अनुपात गिरने कि यह प्रवित्ति बड़े शहरों में अधिक देखने को मिलती है और देश की राजधानी दिल्ली में यह 866 है। जम्मू व कश्मीर, पंजाब और गुजरात में भी यह अनुपात देश के न्यूनतम स्तर तक पहुंचा हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि लिंगानुपात कि गिरावट में यह तेजी लिंग–निर्धारण करने वाले उपकरण व गर्भपात कि सरल उपलब्धता के कारण आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में तीव्रता से गिरते हुए लिंगानुपात का मुख्य कारण कन्या–भ्रूण हत्या ही है। पिछले कुछ दशकों में इस देश कि करोड़ों मासूम बेटियों को अवैध–गर्भपात कि नज़र कर उन्हें संसार में आँखें खोलने से वंचित कर दिया गया है।

कन्या–भ्रूण हत्या के कारण

भारतीय समाज में स्त्री को इतना हीन और तुच्छ क्यों माना जाता है? आइये कन्या भ्रूण–हत्या के कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं:

1. आर्थिक–भय:

पुत्र को कमाने वाला व पुत्री को एक बोझ के रूप में देखा जाता है। बेटे से आशा होती है कि वह बड़ा होकर परिवार का आर्थिक सहारा बनेगा जबकि बेटी किसी अन्य परिवार की शोभा बन जाएगी। इसलिए

बेटी के जन्म को 'लाभ का सौदा' नहीं माना जाता।

2. दहेजः

दहेज भी एक बड़ा कारण है। भारतीय समाज में बेटी कि शादी परिवार पर बहुत बड़ा आर्थिक–बोझ होती है। बाप के जीवन भर कि गाढ़ी कमाई दावत और दहेज में व्यय हो जाती है। और यदि किसी के एक से अधिक बेटियां हों तो उसपर यह बोझ कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि जन्मोपरांत अथवा जन्म से पूर्व ही वह बेटी कि हत्या कर उसे रास्ते से हटा देना पसन्द करता है।

3. समाज का भयः

भारतीय समाज में बेटे को ही परिवार का कर्ता–धर्ता व ध्वज–वाहक माना जाता है। वही परिवार को आगे बढ़ाता है। जबकि बेटी अपने पति के परिवार को आगे बढ़ाती है। यह अन्तर बेटी के विरुद्ध जाता है और जन्म के समय या उससे पूर्व ही उसे रास्ते से हटा दिया जाता है।

4. पारिवारिक सम्मानः

कुछ लोग बेटों की प्रचुरता में ही परिवार का सम्मान देखते हैं और बेटी की प्रचुरता में अपमान। बेटी के ससुराल वालों के समक्ष स्वयं को हीन बनाना उन्हें स्वीकार्य नहीं होता और यही कारण है कि कितनी ही बेटियाँ जीवन से ही वंचित कर दी जाती हैं।

5. सुरक्षा का भयः

माँ–बाप का यह मानना है कि बेटा ही उनका सहारा बनेगा जबकि बेटी तो पराए घर जाएगी। बुढापे में माँ–बाप की आर्थिक व अन्य आवश्यकताओं कि पूर्ती की अपेक्षा बेटे से ही की जाती है, बेटियों से नहीं। इस कारण बेटों के मुकाबले में बेटियों का महत्त्व बहुत कम हो जाता है और उनके पालन–पोषण में कोई लाभ नजर नहीं आता।

6. युद्ध में पुरुष की भूमिकाः

प्राचीन समय में जब युद्ध बहुत हुआ करते थे, पुरुष ही एक फौजी के रूप में वंश कि रक्षा किया करते थे। जबकि अपनी प्राकृतिक कोमलता के कारण महिलाएँ इसमें भाग नहीं ले पाती थीं। युद्ध में परास्त होने कि स्थिति में महिलाओं को दासी के रूप में बंदी बना लिया जाना वंश के अपमान का बड़ा कारण होता था। वर्तमान भारत में इसे कन्या–भ्रूण हत्या का कारण नहीं माना जा सकता।

परिणाम

इस प्रकार से बेटियों की हत्या से समाज का सन्तुलन बिगड़ जाता है और परिणाम–स्वरुप पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। देश के कुछ उत्तर–पश्चिमी राज्यों में यह स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि पुरुषों को विवाह के लिए महिलाएं नहीं मिलती और दुसरे राज्यों से उन्हें 'निर्यात' करना पड़ता है या फिर कई भाईयों को एक ही पत्नी से काम चलाना पड़ता है।

दुल्हन के अभाव से पुरुषों में डिप्रेशन और निराशा जन्म ले लेती है और इसे दूर करने के लिए वह अप्राकृतिक व अस्वाभाविक मार्ग जैसे पॉर्न–फिल्में, वेश्यावृति, बलात्कार, व्यभिचार, समलैंगिकता व अन्य अवैध, अनैतिक व पापयुक्त गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं।

समाधान

1. लिंग–चयन प्रतिषेध अधिनियमः भारत में कन्या–भ्रूण हत्या और तेज़ी से गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए 1 जनवरी 1996 को लिंग–चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 को लागू किया गया जिससे कि लिंग–निर्धारण की गतिविधि को रोका जा सके। इस अधिनियम के अध्याय 1 के अन्तर्गत जन्म–पूर्व लिंग–निर्धारण को अवैध घोषित किया गया। किसी भी परिस्थिति में महिला अथवा उसके परिवार वालों को भ्रूण का लिंग नहीं बताया जा सकता।

परन्तु यह कानून तेजी से हो रहे कन्या–भ्रूण हत्या को रोक पाने में असमर्थ रहा। लिंगानुपात तेजी से गिरता ही जा रहा है। सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि कुछ राज्यों में कन्या–भ्रूण हत्या कि घटनाओं में कमी न होकर तेज़ी से वृद्धि हुई है।

2. इस्लामः भारत ही कि तरह 1500 वर्षों पूर्व अरबों में भी पुत्री–हत्या का चलन था जिसका उन्मूलन एक अल्पावधि में ही कर दिया गया। कैसे? सातवीं शताब्दी के आरम्भ में ईश्वर ने विश्व में समाजिक, धार्मिक व राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए हजरत मुहम्मद को अपना दूत नियुक्त किया और अपना अनुदेश क़ुरआन के रूप में अवतरित किया जिसमें समस्त मानवजाति के लिए मार्गदर्शन पाया जाता है।

अन्य बुराइयों और समस्याओं के समाधान के साथ इस्लाम ने पुत्री–हत्या की घिनौनी प्रथा का न सिर्फ सफलतापूर्वक समाधान किया बल्कि पूर्ण रूप से इसका उन्मूलन भी कर दिया। यह निम्नलिखित उपायों द्वारा संभव हुआ...

माँ–बाप और संतान के सम्बन्धों का निर्धारण

इस्लाम के अनुसार माँ–बाप अपनी सन्तान के मालिक नहीं बल्कि अभिभावक होते हैं। संतान तो ईश्वर की ओर से माँ–बाप के लिए उसकी असीम अनुकम्पा का प्रतीक और उपहार हैं। हत्या करना तो दूर अपनी संतान को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने का कोई भी अधिकार माँ–बाप को नहीं दिया गया है बल्कि उनसे तो अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उस कर्तव्य को पूरा करेंगे जो सन्तान के सम्बन्ध में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। संतान के प्रति मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने से माँ–बाप को रोका गया है और बताया गया है कि संतान उनके लिए परीक्षा का कारण बन सकती हैं।

क़ुरआन (64:15) में कहा गया है "तुम्हारे माल और तुम्हारी सन्तान तो केवल एक आज़माइश है, और अल्लाह ही है जिसके पास बड़ा प्रतिदान है।"

बेटिओं को ईश्वर का उपहार मानना

पुत्री को उस ईश्वर का उपहार समझ कर ग्रहण करना चाहिए, जो अपनी असीमित बुद्धिमत्ता से किसी को बेटे देता है, किसी को बेटी, किसी को दोनों और किसी को इनसे पूरी तरह वंचित रखता है। इस सत्य को क़ुरआन 42:49–50 में व्यक्त किया गया है। अतः बेटी कि हत्या कृतघ्नता और पूर्ण–अज्ञानता का प्रतीक है।

आर्थिक भय का उन्मूलन

पुत्री के परिवार पर आर्थिक बोझ जैसे दृष्टिकोण पर ज़ोरदार प्रहार करते हुए क़ुरआन आह्वान करता है: "और निर्धनता के भय से अपनी सन्तान की हत्या न करो, हम उन्हें भी रोज़ी देंगे और तुम्हें भी। वास्तव में उनकी हत्या बहुत ही बड़ा अपराध है।" (क़ुरआन 17:31)। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर स्वंय जीविका प्रदान करता है इसलिए यह भय निराधार

है कि पुत्री का जन्म परिवार पर आर्थिक बोझ का कारण बनेगा।

विवाह को आसान बनाना

दहेज व विवाह में होने वाला अत्यधिक व्यय कन्या–भ्रूण हत्या के दो मुख्य कारणों हैं। इनका समाधान इस्लाम ने बड़ी सरलता से निकाला।

हज़रत मुहम्मद ने घोषणा की कि "सबसे उत्तम विवाह वह है जिसमें सब से कम व्यय हो।" (हदीस)

लड़की के परिवार को विवाह–खर्च से पूर्ण–रूप से मुक्त कर दिया गया।

दहेज प्रथा पर पूर्ण–रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसके स्थान पर दुल्हन को मेहर का अधिकार प्रदान किया गया। क़ुरआन ने पुरुषों को आदेश दिया कि वह विवाह के समय अपनी पत्नी को उचित मेहर दें। "और स्त्रियों को उनके मह्र खुशी से अदा करो।" (क़ुरआन 4:4)

मानव–हत्या निषेध व जीवन–रक्षा को प्रोत्साहन

क़ुरआन कहता है, "किसी जीव की हत्या न करो, जिसे (मारना) अल्लाह ने हराम ठहराया है।" (क़ुरआन 17:33)

क़ुरआन यह भी कहता है "जिसने किसी व्यक्ति को किसी के खून का बदला लेने या धरती में फसाद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इनसानों की हत्या कर डाली। और जिसने उसे जीवन प्रदान किया, उसने मानो सारे इनसानों को जीवन दान किया।" (क़ुरआन 5:32)

इस्लाम तो अन्यायपूर्ण तरीके से किसी कि भी हत्या का विरोधी है, और यहाँ तो अपनी ही बेटी कि बात हो रही है।

मृत्योपरांत जवाबदेही की चेतावनी

इस्लामी शिक्षाएँ 'परलोक' की संकल्पना पर आधारित हैं, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि मृत्योपरांत हर व्यक्ति को दोबारा जीवित कर ईश्वर की अदालत में अपने समस्त कर्मों का हिसाब देने के लिए हाज़िर किया जाएगा। फिर या तो उसे पुरूस्कार–स्वरुप स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा या फिर दण्डित कर नरक में ढकेल दिया जायेगा। क़ुरआन (81:8) की दिलों को हिला देने वाली आयात "और जब जीवित गाड़ी गई लड़की से पुछा जाएगा, कि उसकी हत्या किस गुनाह के कारण की

गई" ने अरबों से इस राक्षसी प्रथा को सदैव के लिए समाप्त करा दिया।

सकारात्मक उद्देश्य

इस्लाम ने हर व्यक्ति के समक्ष जीवन का एक सकारात्मक उद्देश्य प्रस्तुत किया है। जो अपनी बेटी के साथ भलाई से पेश आए हजरत मुहम्मद का उससे वादा है कि, "जिसके पास भी बेटी हो, और वह न उसे जमीन में जिन्दा गाड़े और न बुरा व्यवहार करे, न अपने बेटों को उसपर प्राथमिकता दे तो ईश्वर उसे अवश्य स्वर्ग में जगह देगा" (हदीसः अबु–दाऊद)

मिसाली जीवन

हज़रत मुहम्मद के चार बेटियां थीं और वह उन सबसे हार्दिक–प्रेम करते थे। एक बार जब किसी व्यक्ति ने आपसे अपनी बेटी को जीवित गाड़ देने के पाप को स्वीकार किया तो आप उस बेटी की पीड़ा को महसूस करके इतना रोए कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। आप को रोता देख वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति फूट–फूट कर रोने लगा।

महिलाओं के प्रति इस्लाम का आकर्षक व्यवहार

इस्लाम महिलाओं का सम्मान हर रूप में करता है, चाहे वह माँ, बेटी, बहन या पत्नी किसी भी रूप में हो। उन्हें विरासत, शिक्षा, जीविका, मेहर, तलाक, रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ और सब से बढ़कर जीवित रहने का अधिकार देता है। महिलाओं को इस्लाम ईश्वर की अमूल्य रचना मानता है और उनकी सुरक्षा का पूरा प्रावधान करता है।

इस्लाम हम सब के लिए है

इस्लाम के रूप में ईश्वरीय शिक्षाएँ समस्त मानवता की धरोहर है। अपने जीवन को पूर्णतः सफल बनाने और परम–आनन्द की प्राप्ति के लिए हम सबको उसकी समस्त शिक्षाओं पर कार्यान्वित होने का प्रयत्न करना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें
dawah.jih@gmail.com